Seventeenth Loksabha

an>

Title : Need to provide the benefits of Government Welfare Schemes to widowed, deserted, orphaned and destitute women in the country.

श्री चुन्नीलाल साहु (महासमुन्द): मैं सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि देश में विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन, आश्रय, सहारा देने का प्रावधान है, लेकिन यदि उनका नाम बीपीएल की सर्वे सूची में 2002 व 2011 की जनगणनानुसार नहीं है तो वे किसी भी मिलने वाली शासकीय योजनाओं से वंचित हो जाती है और यदि संतान है तो इनका जीवन और दुष्कर हो जाता है । जबकि ऐसी विधवा/ परित्यक्ता को सामाजिक न्याय की दृष्टि से योजनाओं का लाभ मिलना अनविार्य ही नहीं बल्कि उचित भी है ।

देश में कम उम्र की निराश्रित गरीब विधवा/ परित्यक्ता बहनों आदि का सर्वे कराकर शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु बीपीएल की अनिवार्यता को संशोधन करते हुए उन्हें लाभान्वित की करने की महान कृपा की जाए ।